

पृष्ठांकन हेतु स्थान
SPACE FOR ENDORSEMENT



टिप्पणी: यदि आपको कोई शिकायत/परेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी/लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा है:

NOTE: In case you have any complaint/grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/Ombudsman whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता
Address of Branch Office

शिकायत निराकरण अधिकारी का पता
Address of Grievance Redressal Officer

लोकपाल का पता
Address of Insurance Ombudsman

टिप्पणी: इन निबंधनों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी भाषा विधिमान्य होगा।

NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जाँच कर लें और यदि कोई गलती दिखाई दे तो सुधारने के लिए इसे तुरंत लौटा दें।

You are requested to examine this policy, and if any mistake be found therein, return it immediately for correction.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या: 512
IRDAI Regn. No.: 512



LIC'S NEW BIMA BACHAT (WITH PROFITS)

एलआईसी की न्यू बीमा बचत (लाभ सहित)

(UIN: 512N284V01)



(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)/(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे इसके बाद निगम कहा जायेगा) यहाँ नीचे सन्दर्भित अनुसूची में उल्लिखित बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव तथा घोषणा और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति होने पर और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा और उसमें दिये गये और सन्दर्भित विवरण इस बीमा पॉलिसी के आधार पर उक्त बीमित व्यक्ति और निगम द्वारा उसे स्वीकार किये जाने पर इस अनुसूची में निर्धारित बाद के प्रीमियमों पर विचार करते हुये और उनकी उचित प्राप्ति निगम के उस शाखा कार्यालय पर हितलाभ की अनुसूची में निर्धारित अनुसार, लेकिन बिना ब्याज के भुगतान करने के लिये यहाँ यह उस व्यक्ति या व्यक्तियों को यह पॉलिसी दी जाती है, जिन्हें उक्त अनुसूची के अनुसार यह देय होगी, लेकिन इन लाभ के सम्बन्ध में निगम की संतुष्टि के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि अनुसूची में निर्धारित रकम के देय होने पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को हक का, जो भुगतान का दावा कर रहा/रहे हों, की प्रस्ताव में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु की सत्यता के बारे में देय होगा, यदि वह पहले नहीं दिया गया हो।

और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है यह पॉलिसी इसके पृष्ठभाग पर अंकित शर्तों और सुविधाओं के अधीन होगी तथा उपर्युक्त अनुसूची व निगम द्वारा अंकित प्रत्येक पृष्ठक पॉलिसी के अंग माने जायेंगे।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and Single Premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, to pay the Benefits as set out in the Schedule, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE अनुसूची / SCHEDULE शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE

पॉलिसी संख्या/Policy No.:	एकल प्रीमियम (₹): Single premium (₹):	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of Birth of Life Assured:
पॉलिसी प्रारम्भ की तिथि/Date of Commencement of Policy:		बीमित व्यक्ति की आयु: Age of the Life Assured:
जोरिम की तिथि/Date of Commencement of Risk:	बीमा राशि (₹): Sum Assured (₹):	क्या आयु स्वीकृत है? Whether Age admitted?
योजना एवम अवधि/Plan & Term:		
पूर्णावधि की तिथि/Date of Maturity:		

बीमा आधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित/Nominee under section 39 of the Insurance Act, 1938:	प्रस्ताव संख्या: Proposal No.:
अगर नामित अवयस्क हो, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम /If Nominee is a minor, the name of the Appointee:	प्रस्ताव की तिथि: Date of the Proposal:
	लाभ चित्रण संदर्भ क्र.: Benefit Illustration Reference No.:

प्रस्तावक का नाम और पता/Name & Address of the Proposer:	बीमित व्यक्ति का नाम और पता/Name & Address of the Life Assured:
---	---

वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं. विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है/Events on the happening of which benefits are payable: Details are mentioned overleaf

जिसे लाभ देय हैं To whom sum Assured payable	प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत या उसके समनुदेशित या बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत उसके नामितियों या उन प्रामाणिक प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जिन्हें उसकी संपदा या केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो. The Proposer or Life Assured or his Assignee under section 38 of the Insurance Act, 1938 or Nominees under section 39 of Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India.
---	--

विशेष प्रावधान: विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है/Special Provisions: Details are mentioned overleaf.

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है और जिस पते पर पॉलिसी के सम्बन्ध में सभी पत्रचार किया जाना चाहिए.
Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed:

तिथि/Date:
जांच कर्ता/Examined by:
योजना क्र./Plan No.:

कृते प्रमुख/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक
p.Chief/Sr./ Branch Manager:

एजेंसी कोड / Agency Code	एजेंसी का नाम / Agency Name	एजेंट का मोबाइल / टेलीफोन नम्बर Agent's Mobile Number / Landline Number

वे घटनाएँ जिनके होने पर लाभ देय हैं/ Events on the happening of which benefits are payable:	
घटनाएँ/ Events	देय लाभ/ Benefits Payable
पूर्णाधिधि की तिथि से पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर/ On death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity.	प्रथम पाँच पॉलिसी वर्षों के दौरान मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि/ On death during the first five policy years: Sum Assured पाँच पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने के बाद मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि, निष्प वृद्धियों के साथ, यदि कोई हो./ On death after completion of five policy years: Sum Assured along with Loyalty Addition, if any.
निर्दिष्ट अवधियों के समाप्त होने तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर On Life Assured surviving to the end of the specified durations	पॉलिसी अवधि 9 वर्ष के लिए : प्रत्येक तीसरे एवं छठे पॉलिसी वर्ष के समापन पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर बीमाकृत राशि का 15% For policy term 9 years : 15% of the Sum Assured on life assured surviving at the end of each of 3rd & 6th policy year पॉलिसी अवधि 12 वर्ष के लिए : प्रत्येक तीसरे, छठे एवं नौवें पॉलिसी वर्ष के समापन पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर बीमाकृत राशि का 15% For policy term 12 years : 15% of the Sum Assured on life assured surviving at the end of each of 3rd, 6th & 9th policy year पॉलिसी अवधि 15 वर्ष के लिए : प्रत्येक तीसरे, छठे, नौवें और बारहवें पॉलिसी वर्ष के समापन पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर बीमाकृत राशि का 15% For policy term 15 years : 15% of the Sum Assured on life assured surviving at the end of each of 3rd, 6th, 9th & 12th policy year
परिपक्वता की तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर/ On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity.	भुगतान की गई एकल प्रीमियम जिसमें कर शामिल नहीं हैं, और समस्त अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, निष्प वृद्धियों के साथ, यदि कोई हो. Single Premium paid excluding taxes, and all extra premium, if any along with the Loyalty Additions, if any.
विशेष प्रावधान /Special Provisions: निष्प वृद्धि : इस योजना के अंतर्गत जारी पॉलिसियों के संबंध में निगम के अनुभव के आधार पर यह पॉलिसी निष्प वृद्धि के रूप में लाभ में सहभागी होगी. निष्प वृद्धि, यदि कोई हो, पाँच पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर या परिपक्वता पर, उस दर पर एवं उन शर्तों पर देय है, जो निगम द्वारा घोषित की जा सकती हैं. Loyalty Addition : Depending upon the Corporation's experience the policy shall participate in the profit in the form of Loyalty Addition. The Loyalty Addition, if any, shall be payable on death after completion of five policy years or on maturity, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.	

इस पॉलिसी मे दी गई शर्तें व सुविधायें

1. **आयु प्रमाण** : प्रस्ताव पत्र पर घोषित की गई बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरांत यदि आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलिसी आरम्भ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिये निगम द्वारा समय-समय पर तय दर पर ब्याज समेत भुगतान करेगा, तथापि प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति इन्हीं उल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किश्त पर दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ देय होगी, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति द्वारा देय ऋण माना जायेगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से काट लिया जायेगा.

यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग या शर्तों के अधीन बीमा के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसे इस पॉलिसी के प्रारंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे बीमा की योजना से बीमा वर्ग या शर्तों को परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्तकि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो, अन्यथा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी.

2. **कर** : कर, सेवा कर सहित, यदि कोई हो, कर कानून के अनुसार होगा और कर की दर प्रचलित दर पर लागू होगी.

कर कानून के अनुसार देय कर की राशि पॉलिसी धारक से एकल प्रीमियम देने के समय वसूल की जायेगी जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम शामिल है, यदि कोई हो. इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए भुगतान किए गए कर की राशि पर विचार नहीं किया जाएगा.

3. **विशेष परिस्थितियों में जब्ती** : यदि प्रीमियमों का भुगतान नियम अनुसार नहीं किया जाता है या इसमें समाविष्ट या पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई असत्य या गलत कथन सम्मिलित है अथवा कोई तात्विक जानकारी छिपाई गयी है तो ऐसे प्रत्येक मामले में यह पॉलिसी अवैध हो जाएगी तथा इस पॉलिसी के संदर्भ में लाभ के सभी दावे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की समय-समय पर संशोधित तथा लागू हो सकनेवाली व्यवस्थाओं के अधीन होंगे।

4. **आत्महत्या** : यदि बीमित व्यक्ति, जोखिम आरंभ होने की तिथि से 12 माह के भीतर कभी भी आत्महत्या (चाहे मानसिक स्वस्थ हो या अस्वस्थ) कर ले तो यह पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी, सिवाय एकल प्रीमियम के 90% के, जिसमें चुकाए गए कर और चुकाई गई कोई अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर.

5. **अभ्यर्पण मूल्य** : इस पॉलिसी को पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय नकद प्राप्ति के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है. अनुमतियोग्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य निम्नानुसार होगा :

- प्रथम वर्ष : एकल प्रीमियम का 70%, जिसमें कर एवं अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं.

- उसके पश्चात : एकल प्रीमियम का 90%, जिसमें कर एवं अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं तथा पहले भुगतान किए गए सभी उत्तरजीविता लाभ.

यद्यपि इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय होगा, यदि यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक हितकर हो. विशेष अभ्यर्पण मूल्य एकल प्रीमियम का रियायती मूल्य होगा, जिसमें कर एवं अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं. इस पॉलिसी के लिए लागू ये रियायत घटक आईआरडीएआई से पूर्व अनुमोदन के साथ समय-समय पर बदल सकते हैं.

6. **ऋण** : यदि पॉलिसी कम से कम एक वर्ष तक चली है तो पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के 60% के बराबर पॉलिसी ऋण लिया जा सकता है, जो संतोषप्रद स्वामित्व के प्रस्तुतिकरण एवं निम्नांकित नियमों व शर्तों तथा ऐसे आगामी नियमों व शर्तों के अधीन है, जो निगम समय-समय पर तय कर सकता है.

(i) लिए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए जमानत के रूप में पॉलिसी पूर्णतः निगम के नाम पर समनुदेशित की जाएगी.

(ii) निगम को ऋण पर ब्याज का भुगतान संबंधित ऋण स्वीकृत करते समय निगम द्वारा निर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा. ब्याज का प्रथम भुगतान अगली

CONDITIONS AND PRIVILEGES WITHIN REFERRED TO

1. **Proof of Age**: The premium having been calculated based on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premium shall be payable in such case at the rate calculated on the Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium, from the commencement of the policy up to the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, however, that in case the Life Assured / Proposer does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of this policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest at such rate as may be prevailing at the time of claim, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and will be deducted from the Policy moneys payable on the policy becoming a claim. Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plans of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

2. **Tax**: Taxes, including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time. The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on single premium including extra premium, if any. The amount of Tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

3. **Forfeiture in certain events**: In case any conditions herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.

4. **Suicide**: The policy shall be void if the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk and the Corporation will not entertain any claim under this policy except to the extent of 90% of the single premium paid excluding taxes and any extra premium paid.

5. **Surrender Value**: The policy can be surrendered for cash at any time during the policy term. The Guaranteed Surrender Value allowable shall be as under:
- First year: 70% of the Single premium excluding taxes and extra premium, if any.
- Thereafter: 90% of the Single premium excluding taxes, extra premium, if any and all survival benefits paid earlier.

However, under this policy Special Surrender Value will be payable, if it is more favorable to the policyholder. The Special Surrender Value will be the discounted value of Single Premium excluding taxes and extra premium, if any. These discounting factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of IRDAI.

6. **Loan**: Provided the policy has run for atleast one year, then policy loan equal to 60% of the surrender value of the policy can be availed during the policy term, subject to the production of satisfactory title and following terms and conditions and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:

(i) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of loan and of the interest thereon;

(ii) Interest on the loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation when

पॉलिसी वर्षगाँठ या छः माह पूर्व आने वाली तिथि, इनमें जो भी संबंधित ऋण स्वीकृत करने के तत्काल बाद आए, पर किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही आधार पर किया जाएगा. ब्याज कम से कम छः माह के लिए लिया जाएगा;

(iii) निगम तीन माह की पूर्व सूचना देकर समस्त ब्याज सहित ऋण राशि की अदायगी की माँग करने के लिए अधिकृत होगा.

(iv) पॉलिसी के परिपक्व होने की स्थिति में या किसी विद्यमानता हितलाभ के भुगतान या मृत्यु दावे की स्थिति में निगम ऋण राशि या उसके किसी भाग का, जो बकाया हो, पॉलिसी धन से ब्याज सहित काटने का अधिकारी होगा.

7. समनुदेशन और नामांकन :

अ) समनुदेशन : इस प्लान के अंतर्गत बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार समनुदेशन की अनुमति है। धारा 38 की वर्तमान लागू व्यवस्थाएँ इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट – I में समाविष्ट हैं।

समनुदेशन की सूचना निगम के जिस कार्यालय से पॉलिसी सेवा दी जा रही है, वहाँ पर पंजीकरण के हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ब) नामांकन : समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी धारक को नामांकन करना आवश्यक है। धारा 39 की वर्तमान लागू व्यवस्थाएँ इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट – II में समाविष्ट हैं।

नामांकन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम के जिस कार्यालय से पॉलिसी सेवा दी जा रही है, वहाँ पर पंजीकरण के हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए। नामांकन का पंजीकरण करने पर निगम कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा या उसकी वैधता या वैधानिक परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

8. **निगम के लाभ में प्रतिभागिता** : इस योजना के अंतर्गत जारी पॉलिसियों के संबंध में निगम के अनुभव के आधार पर यह पॉलिसी निष्प वृद्धि के रूप में लाभ में सहभागी होगी. निष्प वृद्धि, यदि कोई हो, पाँच पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर या परिपक्वता पर, उस दर पर एवं उन शर्तों पर देय है, जो निगम द्वारा घोषित की जा सकती हैं.

9. **दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएँ** : पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय साधारण दस्तावेजों में दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, दुर्घटना/अपंगता का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व का वैद्यकीय उपचार, नियोक्ता का प्रमाणपत्र, इनमें से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा. अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं की गई है, तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.

जब परिपक्वता लाभ या उत्तरजीविता लाभ बकाया हो जाएँ या समय से पूर्व अभ्यर्पण पर बीमित व्यक्ति द्वारा मूल पॉलिसी प्रलेख के साथ विमुक्ति प्रमत्र जमा किया जाएगा, जिसके साथ बैंक खाते में दावे की राशि को सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता से फर्ईफर्टा आदेश और उसके साथ आयु का साक्ष्य, यदि आयु पहले स्वीकृत नहीं हुई है, प्रस्तुत करना होगा.

10. **वैधानिक परिवर्तन** : इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों सहित नियम और शर्तें संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार परिवर्तनीय हैं.

11. **कूलिंग ऑफ अवधि** : यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियमों व शर्तोंम से संतुष्ट न हो तो, वह पॉलिसी प्राप्त करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी लौटा सकता है. इसे प्राप्त करने के बाद निगम पॉलिसी को निरस्त करके एकल प्रीमियम में से कवर पर अवधि हेतु अनुपातिक जोखिम प्रीमियम की राशि, चिकित्सा जांच, विशेष रिपोर्ट यदि हो, के शुल्क और स्टैम्प ज़रूरी काटकर लौटा देगा.

12. **लाभ चित्रण** : मानक जीवन पूर्वधारणा पर आधारित आपका अनुकूलित लाभ चित्रण इस प्रलेख के साथ संलग्न है.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की व्यवस्थाएँ समय-समय पर संशोधन के अनुसार लागू हो जाएंगी। वर्तमान व्यवस्थाएँ इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-III में समाविष्ट हैं।

शिकायत निराकरण रचना

ग्राहकों की शिकायतों का निराकरण करने हेतु निगम ने शाखा / विभाग / क्षेत्रीय / केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर शिकायत निराकरण अधिकारी की नियुक्ति की है। ग्राहकों की शिकायतों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) <http://www.lcindia.in>, के माध्यम से ग्राहक संचालन योग्य एकात्मिक शिकायत व्यवस्थापन प्रणालि प्रस्तुत की है, जहाँ पर पंजीकृत पॉलिसी धारक अपना असन्तोष / शिकायत प्रत्यक्ष दर्ज कर सकते हैं, तथा उसकी स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के हेतु ग्राहक co_crmgrv@licindia.com इस ई-मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।

यदि ग्राहक मिले जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या हमसे 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं पाला है, तो वह ग्राहक आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष से किसी भी निम्नलिखित मार्ग से संपर्क कर सकते हैं।

- टोल फ्री संख्या 155255 / 18004254732 (यानि आईआरडीएआई शिकायत कक्ष केंद्र) पर कॉल करें।
- complaints@irda.gov.in पर ई-मेल भेज कर।
- <http://www.igms.irda.gov.in> पर शिकायत दर्ज करें।
- ग्राहक मामला विभाग, भारतीय बीमा नियंत्रण तथा विकास प्राधिकरण, 9वीं मंजिल, युनाईटेड इंडिया टावर, बशीरवाग, हैदराबाद - 500029, आंध्र प्रदेश के पते पर शिकायत पत्रद्वारा / कुरियर द्वारा भेज कर।
- 040-66789768 पर अपनी शिकायत फैक्स पर भेज दें।

मृत्यु दावा परियाग के निर्णय से अस्वच्छ दावेदारों के पास अपने मामलों का पुनःरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निराकरण समिती या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निराकरण समिती के पास भेजने का विकल्प उपलब्ध है। उच्च न्यायालय / जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिेश प्रत्येक दावा विवाद निराकरण समिति के सदस्य रहेंगे। दावों के संदर्भ में शिकायतों के निराकरण हेतु दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम खर्चिला तथा जलद मध्यस्थ निर्णय देने का प्रयत्न करते है।

the relative loan is sanctioned. The first payment of interest is to be made on the next policy anniversary or on the date six months before the next policy anniversary whichever immediately follows the date on which the relative loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months;

(iii) The Corporation shall be entitled to call for repayment of the loan with all due interest by giving 3 month notice.

(iv) In case the policy shall mature or whenever any survival benefit falls due or becomes a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the loan or any portion thereof which is outstanding, together with all outstanding interest from the policy moneys.

7. Assignments and Nominations:

a) Assignments: Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-I of this policy document.

The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

b) Nominations: Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-II of this policy document.

The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

8. **Participation in the Profits of the Corporation**: Depending upon the Corporation's experience the policy shall participate in the profit in the form of Loyalty Addition. The Loyalty Addition, if any, shall be payable on death after completion of five policy years or on maturity, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

9. **Normal requirements for a claim**: The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be the claim forms as prescribed by the Corporation accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to death, school / college / employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life Assured shall also be submitted. When maturity benefit or survival benefits falls due or on earlier surrender, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

10. **Legislative Changes**: The Terms and Conditions including the benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

11. **Cooling-off Period**: If the Policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the policy, he/she may return the policy to the Corporation within 15 days from the date of receipt of the policy stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of single premium deposited after deducting the proportionate risk premium for the period on cover, charges for medical examination, special reports, if any, and stamp duty.

12. **Benefit Illustration**: your customized Benefit Illustration based on standard life assumption is enclosed to this document.

Section 45 of Insurance Act, 1938:

The provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-III of this policy document.

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is <http://www.lcindia.in>, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail [id co_crmgrv@licindia.com](mailto:co_crmgrv@licindia.com) for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)

- Sending an email to complaints@irda.gov.in

- Register the complaint online at <http://www.igms.irda.gov.in>

- Address for sending the complaint through courier / letter:

- Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500 029, Andhra Pradesh.

- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

परिशिष्ट I

समनुदेशन-बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

- बीमा पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, पूर्णतः या अंशतः प्रतिफलसहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंस्ट्रूमेन्ट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या समनुदेशक या उनके अधिकृत एजेंट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अंतरण या अभ्यर्पण के तथ्य और कारण, समनुदेशित के पूर्ववृत्त और समनुदेशन की शर्तों का उल्लेख करते हुए।
- बीमाकर्ता उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं है।

- बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समनुदेशन का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधारक को सूचित करेगा।

- बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रख सकता है।

- उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या समनुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इंस्ट्रूमेन्ट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय वहां जहां अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रभावी न होगा, तथा यह अंतरण या समनुदेशित या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन का लिखित में नोटिस या उक्त पृष्ठांकन या इंस्ट्रूमेन्ट की प्रति, जिसे जब तक कि अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेंट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।

- बशर्तें जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।

- जिस तिथि को उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समनुदेशन के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या समनुदेशन के एक से अधिक इंस्ट्रूमेन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्रूमेन्ट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस सुपुर्द किए गए हैं।

समनुदेशितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

- उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समनुदेशन के तथ्य को उसकी तिथि तथा अंतरिती या समनुदेशित के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अंतरिती या समनुदेशित, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है, और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निष्कर्ष साध्य माना जाएगा कि उसे पावती से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है।

- अंतरण या समनुदेशन के नियमों तथा शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा, उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात्र अंतरिती या समनुदेशित की पहचान करेगा या ऐसा व्यक्ति उन सभी दायिताओं तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या समनुदेशन की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कार्रवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अभ्यर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कार्रवाई की एक पार्टी बना सकता है।

स्पष्टीकरण – सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उल्लेख करता हो कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा (10) के अंतर्गत सशर्त है, प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समनुदेशित या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण समनुदेशित या अंतरिती माना जाएगा।

Annexure - I

Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.

- An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.

- The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.

- Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.

- Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.

- The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

- Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgment of the receipt of such notice; and any such acknowledgment shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

- Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी समनुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समनुदेशित या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधानों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।

- किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस दशा में किया जा सकता है कि

अ. पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है अगर समनुदेशित या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो जाती है; या

ब. बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगा:

तथापि सशर्त समनुदेशित पॉलिसी को अभ्यर्पण करने या पॉलिसी पर ऋण लेने का पात्र नहीं होगा।

- उप-धारा (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की दायिता आंशिक समनुदेशन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए पुनः समनुदेशन या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

परिशिष्ट II

नामांकन- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

- जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाएगा।शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानून उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।

- ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के ज़रिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।

- बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।

- धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा:

शर्त यह है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो कि समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर, उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुनः समनुदेशन के अंतर्गत हो, ऋण स्वरूप की भ्रष्टाई करने पर नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना कि पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो:

आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिती या समनुदेशित द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे यह पूर्णतः हो या अंशतः, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशित का हित होगा:

शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, वह नामांकन समनुदेशित द्वारा पुनः समनुदेशन या अंतरितीद्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुनः अंतरण से स्वतः पुनः प्रचलित हो जाएगा।

- जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

- Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.

- Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that-

a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or

b. The insured surviving the term of the policy, shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

- In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

Annexure- II

Nomination - As per Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

- Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

- The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

- A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

- Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

6. जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।
7. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप-धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।
8. उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे।
9. उप-धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।
10. उप-धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।
11. जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होगा।
12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6, विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी लागू किया गया हो।
- शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होंगी।

परिशिष्ट III

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार

- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात् पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।
- जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है। शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरण I : इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, झूठे धोखेधड़ी का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

अ. सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;

ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;

स. धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा

द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

- (6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.
- (7) Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.
- (8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.
- (9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.
- (10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
- (11) Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.
- (12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied;

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

Annexure- III

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
- A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

 - (a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;
 - (b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;
 - (c) any other act fitted to deceive; and
 - (d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेंट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।

3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का अग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट माना जाएगा।

4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चालित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है। आगे शर्त यह है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी को सिर्फ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सूक्त के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation – A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.